न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्थ, बिरौल।

कुशेश्वर स्थान थाना कांड सं0 229/2020
जी0आर0 न0 679/2020

21.08.2020 लॉकडाउन।

काराधीन आवेदक अभियुक्त 1. पवन मुखिया की ओर से विद्वान अधिवक्ता नवीन ठाकुर द्वारा नवीन वकालतनामा के साथ के माध्यम से जमानत आवेदन दाखिल किया गया है जिसे आज की तिथि में विडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रचालित किया गया।

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि आवेदक अभियुक्त बिल्कुल निर्दोश है, उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। आवेदकग की ओर से इस जमानत आवेदन के पूर्व किसी वरीय न्यायालय में कोई जमानत आवदेन दाखिल नहीं किया गया है और न ही किसी न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन अस्वीकृत किया गया है। यह भी कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त दिनांक 16.08.2020 से कारा अभिरक्षा में है जब कि पुलिस के द्वारा दिनांक 14.08.2020 को गिरफतार किया गया था। पुलिस अधिकारी के द्वारा धारा 57 Cr.P.C. के प्रावधान का उलंघन किया गया है इस हेतु आवेदक अभियुक्त जमानत पाने का हकदार है। अभियुक्त के पास से कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं किया गया है। सूचक एवं पुलिस अधिकारी के द्वारा आवेदक अभियुक्त को उनके घर से गिरफतार किया गया जहां पर उनसे कई सादा कागज पर हस्ताक्षर करा लिए जिस जप्ती सूची बनाया गया। जप्ती सूची की प्रति अभियुक्त को प्राप्त नहीं कराया गया है जो धारा 100 (6) Cr.P.C. के प्रावधान का उलंघन करता है जो शक के दायरे में आता है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 7 E.C. का अभियोग नहीं बनता है। आवेदक न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की कृपा किया जाय।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी ने आवेदक अभियुक्त के जमानत आवेदन का विरोध करते हुये कहा है कि आवेदक नामजद अभियुक्त है तथा उस पर आरोप है कि वे अन्य अभियुक्तों के

साथ मिल कर सरकारी खाद्यान्न को उंचे दाम पर कालाबाजारी का काम कर रहा था। ऐसी सिथिति में अभियुक्त को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्य से सुना तथा सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया जिस से विदित होता है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान दरभंगा के द्वारा आवेदक को खाद्यान्न सहित पकड़ा गया, तत्पश्चात थाना कुशेश्वर स्थान को सुपर्द किया गया है। तत्पश्चात आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध सूचक के टंकित आवेदन पर कु0 स्थाना थाना कांड सं0 229/2020 दिनांक 14.08.2020 अंतर्गत धारा 7 E.C. अधिनियम के अन्तर्गत अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज किया गया। आवेदक दिनांक 16.08.2020 से बेनीपुर उपकारा में अवरूद्ध है। आवेदक अभियुक्त पर आरोप है कि वे सह अभियुक्तों के साथ मिलकर बिना नम्बर के टैक्टर पर 52 जूट के पैकेट में जिस पर भारतीय खाद्यान्न निगम का मार्का लगा हुआ था जो हाथ से सिलाई किया हुआ था उसे कालाबाजारी करने के लिए ले जा रहा था। उक्त 52 बारे में कुल 26 क्वि0 गेहूं था जो गंभीर प्रकृति का अपराध है। आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। मामला अभी अनुसंधान के कम में है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक काराधीन अभियुक्त पवन मुखिया की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी चतुर्थ,

बिरौल।